

	<p><b>नेशनलसीड्सकॉर्पोरेशनलिमिटेड</b> (भारत सरकार का उपक्रम लघुरत्न कंपनी) "An ISO 9001:2008 &amp; 14001:2004 Company" <b>केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़</b> जिला श्री गंगानगर (राज.) फोन: 01509-223873 ई-मेल :ago.csfsuratgarh@gmail.com</p>	<p><b>NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED</b> (A Government of India Undertaking Miniratna Company) "An ISO 9001:2008 &amp; 14001:2004 Company" <b>CENTRAL STATE FARM, SURATGARH</b> Distt:- Sri Ganganagar <b>Phone : 01509-223873</b></p>
--	---	--

क्र.स.सी.एस.एफ./एस.जी.ओ./फिशरीज /2-185 /2022-23

दिनांक:- 05.08.2022

## निविदा- सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर में स्थित **खण्ड-1, 2 व 3 के गड्डों में मछली पकड़ने व बेचने का कार्य करवाने** के लिए खुली बोली/निविदाएं दिनांक **26.08.2022** को 1.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है जो कि उसी दिन सांय 3.00 बजे खोली जायेंगी। निविदा में भाग लेने के लिए अमानत राशि **रु0 10,000.00** मात्र (दस हजार मात्र) व रुपये 590/टेडणर फीस राशि को **RTGS/NEFT/online** जो कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड सूरतगढ़ के पक्ष मे भारतीय स्टेट बैंक सूरतगढ़ (फार्म का खाता संख्या 34056542572 **IFSC code No. SBIN0007774**) में जमा कराई जा सकती है | नियम व शर्तें विभागीय वेबसाइट [www.indiaseeds.com](http://www.indiaseeds.com) से भी प्राप्त किया जा सकता है। पैन कार्ड, पहचान पत्र, अन्य आवश्यक सबूतों आदि की प्रतिलिपि सहित जमा कराना होगा।

प्रभारी (मत्स्य पालन)  
कृते निदेशक

**राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड**  
**केन्द्रीय राज्य फार्म,सूरतगढ़**

**फार्म में खण्ड-1, 2 व 3 के गड्डों में मछली पकड़ने का ठेका लेने के लिए नियम व शर्तें**


1. फार्म के गड्डों में मछली पकड़ने के लिए अमानत राशि रूपये 10000.00 (रूपये दस हजार) का NEFT/RTGS/online जो कि राष्ट्रीय बीज निगम सूरतगढ़ के नाम देय हो, फार्म खजांची के पास जमा कराना होगा। सफल निविदादाता की अमानत राशि कार्य सन्तोषजनक होने पर बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी। फार्म का खाता संख्या 34056542572 IFSC code No. SBIN0007774
2. निविदा खोलने से पूर्व खुली बोली आयोजित करवाई जायेगी, जिसमें निविदा भरने वाले ठेकेदार ही भाग ले सकते हैं। खुली बोली व निविदा में जो भी दरें अधिकतम होगी वह स्वीकार की जायेगी।
3. सफल बोलीदाता/निविदादाता को बोली समाप्त होते ही सम्पूर्ण रकम का एक तिहाई हिस्सा कार्य पत्र जारी करने के पश्चात् तीन दिवस में तथा शेष रकम अगले दस दिवस में जमा करानी होगी।
4. ठेकेदार द्वारा मछली पकड़ने/रखवाली करने के लिए श्रमिक ठेकेदार को लगाने होंगे तथा उनकी सूची प्रत्येक के पहचान पत्र के साथ इस कार्यालय को देनी होगी तथा पूर्ण रिकॉर्ड रखना होगा।
5. मछली निकालने के लिए ठेके की अवधि **31.3.2023** तक होगी।
6. कोई भी ठेकेदार आधा किलो से कम वजन की या 9 ईंच से कम साईज की मछली नहीं बेचेगा। जिन मछलियों पर सरकार की पाबन्दी है उन्हें भी नहीं बेचेगा।
7. यदि मछली पकड़ने पर टैक्स या अन्य किसी प्रकार का कर देय होगा तो उसका भुगतान ठेकेदार को ही करना होगा। यदि ठेकेदार कें श्रमिकों द्वारा फार्म की फसलों या अन्य किसी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो नुकसान की भरपाई ठेकेदार से की जायेगी।
8. ठेकेदार,उसके हिस्सेदार या उसके एजेन्ट के द्वारा फार्म के किसी अधिकारी/कर्मचारी के साथ झगड़ा नहीं करेंगे यदि ऐसा हुआ तो फार्म निदेशक का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
9. ठेकेदार द्वारा फार्म के नियम व शर्तों की पालना नहीं करने पर उसका ठेका रद्द कर दिया जायेगा तथा उसकी धरोहर राशि भी जब्त कर ली जायेगी।
10. मछली पकड़ने के लिए जाल, व्यक्ति आदि तथा इन्हे लाने लेजाने की व्यवस्था स्वयं ठेकेदार को करनी होगी तथा सम्बन्धित चक/खण्ड प्रभारी से गेटपास लेकर ही माल लेजाना होगा।
11. किसी भी गड्डे में भरे हुए पानी को निकालने या किसी पानी के बहाव में रूकावट पैदा करने के लिए निदेशक, केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ से अग्रिम अनुमति प्राप्त करनी होगी।
12. अमान्य बोली से दोबारा आमंत्रित बोली में अगर रकम अधिक हुई तो उस पर ठेकेदार का किसी प्रकार का हक नहीं होगा। प्रथम ठेकेदार के ठेका छोड़ने पर दोबारा बोली की राशि पहली बोली से कम होने पर अंतर की राशि पहले ठेकेदार की जमा राशि में से काट ली जायेगी।
13. ठेके के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना/जन हानि व क्षति होने पर फार्म जिम्मेवार नहीं होगा।
14. विलम्ब से जमा की जाने वाली राशि पर 18 प्रतिशत की दर से अधिकतम एक माह तक के लिए ब्याज सहित पूर्ण रकम जमा करने का समय होगा। निर्धारित समय सीमा तक राशि जमा न करने पर समस्त जमा राशि (मय धरोहर राशि) को जब्त कर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।इसके बाद पुनः निविदा/नीलामी यदि कम दर आने पर फार्म का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई प्रथम ठेकेदार से की जायेगी।
15. ठेकेदार को उसके मजदूरों का भुगतान स्वयं ही करना होगा तथा सभी प्रकार की वैधानिक जिम्मेदारी जैसे की कर सम्बन्धित, भविष्य निधि, ई.एस.आई इत्यादि सम्बन्धित ठेकेदार की होगी। भुगतान का पूर्ण विवरण रखना होगा जो कि आवश्यकता होने पर फार्म द्वारा कभी भी जाँचा जा सकता है
16. सफल बोलीदाता को ठेके के सम्बन्ध में एक समझौता (एग्रीमेन्ट) रूपये 500/- के नोन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर जो ठेकेदार द्वारा खरीदा जायेगा, पर करना होगा। जो ठेका होने के 10 दिवस में जमा कराना होगा।

17. टेण्डर मे दिये गये नियम एंव शर्ते तथा आवश्यक दिशा निर्देश इस अनुबंध के साथ बाध्य एवं स्वमान्य होंगे, जो कि ठेकेदार को मानने होंगे। ठेकेदार द्वारा कार्य करने मे देरी अथवा असमर्थता दिखाने पर उसकी EMD/ Security राशि जब्त कर ली जाएगी तथा कार्य का ठेका निरस्त किया जा सकता है।
18. यह अनुबंध दोनों फर्मों के बीच अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर होने की तिथि से होने की तिथि से लागू होगा और अनुबंध की वैधता अवधि के अनुसार मान्य होगा। एक बार अनुबंध को अंतिम रूप देने के बाद सहमत दरें अनुबंध की अवधि के लिए मान्य होंगी जैसा कि निविदा में निर्धारित है। अनुबंध को पारस्परिक रूप से, सहमत अवधि के लिए समान नियम-शर्त और दरों पर अधिकतम एक वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।
19. यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण रा.लि.नि.बी. और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इस आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय-समय पर संशोधित किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करने के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक इस मुद्दे को हल करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। कानून के न्यायालय में जानें से पहले पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा।

उपरोक्त सभी दिशा-निर्देश/नियम एंव शर्ते मैने ध्यानपूर्वक पढ़ एंव समझ लिये है। उपरोक्त सभी नियम एंव शर्ते के अंतर्गत कार्य नही होने की स्थिति में फार्म मेरे खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र है।

दिनांक.....

हस्ताक्षर निविदादाता.....  
निविदादाता का नाम.....  
पता.....

	<p><b>नेशनलसीड्सकॉर्पोरेशनलिमिटेड</b> (भारत सरकारकाउपक्रमलघुरत्न कंपनी) ३।द. ९००१२००८ - १४००१२००४ ब्यउचंदलर <b>केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़</b> जिलाश्रीगंगानगर (राज.) फोन: ०१५०९-२२३८७३ ई-मेल :हवणबेनितंजहंती/हउंपसणववउ</p>	<p><b>NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED</b> (A Government of India Undertaking Miniratna Company) "An ISO 9001:2008 &amp; 14001:2004 Company" <b>CENTRAL STATE FARM, SURATGARH</b> Distt:- SriGanganagar Phone : 01509-223873</p>
--	--	--

## निविदा फार्म

निविदा विज्ञप्ति भेजने हेतु पता:-

श्रीमान निदेशक (फार्म)  
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)  
निविदा खोलने की दिनांक:-**26.08.2022** -  
स्थान:- मीटिंग हाल, मुख्यालय, केन्द्रीय राज्य फार्म,सूरतगढ़

विषय:- केन्द्रीय राज्य फार्म,सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) के अधिकार में उपरोक्त निविदा विज्ञप्ति में सन्दर्भित खण्ड-1, 2 व 3 के गड्डों में मछली पालने व बचने का कार्य करवाने हेतु 31.03.2023 की अवधि के लिये ठेके पर लेने हेतु निविदा प्रपत्र।

1. निविदादाता का नाम :-.....
2. पिता/पति का नाम :-.....
3. पूरा पता :-.....
4. दूरभाष/मो0 नम्बर :-.....
5. पैन नम्बर :-.....(प्रतिलिपि संलग्न करें)
6. पहचान पत्र नम्बर(वोटर आई डी,आधार कार्ड आदि).....  
(प्रतिलिपि संलग्न करें)
7. निविदा शुल्क(रु0 590/-) रसीद संख्या.....दिनांक.....अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या.....दिनांक.....

## निविदा राशि प्रस्ताव (टेण्डर ऑफर)

केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) के अधिकार में सन्दर्भित खण्ड-1, 2 व 3 के गड्डों में मछली पालने व बचने का कार्य करवाने हेतु 31.03.2023 की अवधि के लिये ठेके पर लेने हेतु दर निम्न विवरण अनुसार प्रस्तुत है।

ठेका न0	कार्य का विवरण	ब्लॉक	निविदा दर खण्ड-1, 2 व 3 के खण्डों के लिए (रु. में)
1	खण्ड-1, 2 व 3 के गड्डों में मछली पालने व बचने का कार्य करवाने हेतु 31.03.2023 की अवधि के लिये ठेके पर लेने हेतु	खण्ड-1, 2, 3	

कृमशः -2

## धरोहर राशि का विवरण:-

निविदा विज्ञप्ति के अनुसार जमा किये गये/किये जाने वाली राशि का विवरण:-

ठेका नम्बर	बैंक ड्राफ्ट न0 एवं दिनांक	जारी करने वाले बैंक का नाम एवं शाखा का पता	धरोहर राशि रूपयों में (अकों व शब्दों में)

(उपरोक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न किये जायें)

मैं/हम यह प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि उपरोक्त निविदा की सभी शर्तें पढ़ व समझ ली है। मुझे/हमें सभी शर्तें मान्य है। शर्तों की प्रतिलिपि पर हस्ताक्षर कर तथा संलग्न कर पूर्ण सहमति से निविदा प्रेषित हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता.....  
निविदादाता का नाम.....  
पता.....